Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 149–2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 7, 2018 (BHADRA 16, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 7th September, 2018

No. 33-HLA of 2018/62/19503.— The Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Bill, 2018, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 33 - HLA of 2018

THE HARYANA GROUP D EMPLOYEES (RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 2018

A

BILL

further to amend the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Act, 2018. Short title.

2. In section 1 of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (hereinafter called the principal Act),- Amendment of section 1 of Haryana Act 5 of 2018.

(i) in the marginal heading, for the words and signs “Short title, commencement and application.”, the words and sign “Short title and commencement.” shall be substituted;

(ii) sub-section (3) shall be omitted.

3. In section 6 of the principal Act,- Amendment of section 6 of Haryana Act 5 of 2018.

(i) first proviso shall be omitted; and

(ii) in the second proviso, the word “further” shall be omitted.

4. In the proviso to section 7 of the principal Act, the word “other” shall be omitted. Amendment of section 7 of Haryana Act 5 of 2018.

Substitution of section 8 of Haryana Act 5 of 2018.

5. For section 8 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"8. Appointment by agreement.- Where in the opinion of the Government, special provisions are required in respect of recruitment, conditions of service, pay, allowances, pension, discipline and conduct with reference to any particular post in the service or posts in any particular department or office, the Government may, by general or special order, provide that recruitment to such posts shall be made otherwise than in accordance with this Act and provide by order or by an agreement with the person so appointed for any of the matters in respect of which in the opinion of the Government special provisions are required to be made and to the extent to which such provisions are made in the order or the agreement. Nothing in this Act shall apply to any person so appointed in respect of any matter for which provision is made in the said order or agreement:

Provided that any matter in respect of which no provision has been made in the order or agreement, the provisions of this Act shall apply.".

Omission of section 10 of Haryana Act 5 of 2018.

6. Sub-section (2) of section 10 of the principal Act shall be omitted.

Substitution of section 23 of Haryana Act 5 of 2018.

7. For section 23 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"23. Overriding effect.- Notwithstanding anything contained in any service rules for the time being in force, the provisions of this Act shall have effect for regulating the recruitments and conditions of service for appointment to Group D posts.".

Substitution of section 24 of Haryana Act 5 of 2018.

8. For section 24 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"24. Application of certain rules- If nature and duties of any posts in the Service require any training or technical or professional knowledge, such in-service training shall be arranged by the Government/appointing authority after selection and appointment of candidates to such posts and passing any such prescribed training or the course will be part of the duties of the employees while determining their work and conduct for confirmation in service as well as promotion to any higher post."

Amendment of Second Schedule to Haryana Act 5 of 2018.

9. In the Second Schedule to the principal Act,-

(i) for clause (a) of serial number (1), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) If no person from among the applicant's father, mother, spouse, brothers and sons is, was or has been regular employee in any Department/ Board/ Corporation/ Company/ Statutory Body/ Commission/ Authority of Government of Haryana or any other State Government or Government of India.";

(ii) for serial number (2), the following serial number shall be substituted, namely:-

"(2) No applicant shall be given more than ten marks for socio-economic criteria and experience under any circumstances.".

Repeal and saving.

10. (1) The Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Ordinance, 2018 (Haryana Ordinance No.5 of 2018), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (Haryana Act No. 5 of 2018) was enacted with an object of providing uniformity in qualifications for various Group D posts criteria, introduction of provision in preparing waiting list, uniformity in fixation of seniority, probation, provision of appeal in case of discharge, promotion, appointment by recruitment, by way of transfer and resignation & acceptance thereof, in addition to provision of power to remove difficulties within a maximum period of three years of the commencement of the Act and placing the same before the State legislature as soon as possible.

However, the State of Haryana has faced some difficulties, while interpreting and implementing the provisions of the said Act No. 5 of 2018. In order to mitigate the difficulties it is necessary to make certain amendments in Act No. 5 of 2018. Accordingly, to achieve the said purpose, the need to amend Haryana Act No. 5 of 2018 has become necessary.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 7th September, 2018.

SUBHASH CHANDER,
Additional Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2018 का विधेयक संख्या – 33 एच.एल.ए.

हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2018

हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018,
को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2018, कहा जा सकता है।

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 1 का संशोधन।

2. हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 1 में,–

(i) उपान्तिक शीर्ष में, ''संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण।'' शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, ''संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उप–धारा (3) का लोप कर दिया जाएगा।

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 6 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 में,–

(i) प्रथम परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा ; तथा

(ii) द्वितीय परन्तुक में, ''यह और कि'' शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 7 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 के परन्तुक में, ''अन्य'' शब्द का लोप कर दिया जाएगा।

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 8 का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''8. करार द्वारा नियुक्ति.– जहां सरकार की राय में, किसी विशिष्ट विभाग या कार्यालय में सेवा में किसी विशिष्ट पद या पदों के संदर्भ में भर्ती, सेवा की शर्तें, वेतन, भत्ते, पेंशन, अनुशासन तथा आचरण के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध किए जाने अपेक्षित हैं, तो सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उपबन्ध कर सकती है कि ऐसे पदों पर भर्ती इस अधिनियम के अनुसार से अन्यथा की जाएगी तथा किन्हीं मामलों के लिए आदेश द्वारा या इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति के साथ करार द्वारा उपबन्ध कर सकती है, जिनके सम्बन्ध में सरकार की राय में विशेष उपबन्ध किए जाने अपेक्षित हैं तथा उस सीमा तक जिनके लिए ऐसे उपबन्ध आदेश या करार में किए गए हैं। इस अधिनियम की कोई बात किसी मामले जिसके लिए उक्त आदेश या करार में उपबन्ध किया गया है, के सम्बन्ध में इस प्रकार नियुक्त किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी :

परन्तु किसी मामले, जिसके सम्बन्ध में आदेश या करार में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, तो इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होंगे।''।

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 10 का लोप।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 की उप–धारा (2) का लोप कर दिया जाएगा।

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 23 का प्रतिस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 23 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''23. अध्यारोही प्रभाव.– तत्समय लागू किन्हीं सेवा नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध ग्रुप घ पदों पर नियुक्ति हेतु भर्तियों तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए प्रभावी होंगे।''।

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की धारा 24 का प्रतिस्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''24. कतिपय नियमों का लागूकरण.– यदि किसी सेवा में किन्हीं पदों के स्वरूप तथा कर्तव्यों के लिए कोई प्रशिक्षण या तकनीकी या व्यावसायिक ज्ञान अपेक्षित है, तो ऐसी सेवा में ऐसे पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन और नियुक्ति के बाद सरकार/ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाएगा और कोई ऐसा विहित प्रशिक्षण या कोर्स पास करना सेवा में पुष्टिकरण के साथ–साथ किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए उन कर्मचारियों के कार्य और आचरण को अवधारित करते समय उनके कर्तव्यों का भागरूप होगा।''।

9. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में,–

2018 का हरियाणा अधिनियम 5 की द्वितीय अनुसूची का संशोधन।

(i) क्रम संख्या (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(क) यदि आवेदक के पिता, माता, पति–पत्नी, भाइयों तथा बेटों में से कोई भी व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग/ बोर्ड/ निगम/ कम्पनी/ वैधानिक निकाय/ आयोग/ प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी नहीं है, नहीं था या नहीं रहा है।'';

(ii) क्रम संख्या (2) के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(2) किसी भी आवेदक को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामाजिक–आर्थिक मानदण्ड तथा अनुभव के लिए दस अंक से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे।''।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

10. (1) हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 2018 (2018 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

विभिन्न ग्रुप घ के पदों की आयु, योग्यताओं तथा सामाजिक आर्थिक मानदण्ड तथा अनुभव को महत्व देने में एकरूपता उपबन्धित करने के उद्वदेश्य से हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 5) बनाया गया था। अधिनियम के प्रारम्भ में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर कठिनाई दूर करने की शक्ति के प्रावधान के अतिरिक्त, अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताऐं भी जैसे एकरूप चयन मानदण्ड, प्रतीक्षा सूची तैयार करने का प्रावधान, आयु में एकरूपता, योग्यताओं तथा सामाजिक आर्थिक मानदन्ड तथा अनुभव को महत्व देना, ज्येष्ठता निर्धारण में एकरूपता, परिवीक्षा, सेवान्मुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण तथा त्यागपत्र तथा उनके स्वीकारने की स्थिति में अपील का प्रावधान।

यद्यपि उक्त 2018 का हरियाणा अधिनियम संख्या 5 के प्रावधानों का विवेचन तथा लागू करते समय हरियाणा राज्य द्वारा कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। 2018 के हरियाणा अधिनियम संख्या 5 में इन कठिनाईयों को कम करने के क्रम में कुछ संशोधन करना आवश्यक है। तदानुसार उक्त प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए 2018 के हरियाणा अधिनियम संख्या 5 को संशोधित करना आवश्यक हो गया है।

मनोहर लाल,
मुख्य मन्त्री, हरियाणा ।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 7 सितम्बर, 2018.

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव।